कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 32 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2025 रायपुर, दिनांक 07/01/2026

// प्रवेश वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण कॉउंसिलिंग आवंटन सूचना//

आज दिनांक 07.01.2026 को छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों **(MD/MS)** की आवंटन सूची जारी की गई है। उक्त आवंटन माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष दायर रिट याचिका क्रमांक **WPC 6449/2025** (प्रभाकर चंद्रवंशी विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा। द्वितीय चरण काउंसिलिंग आवंटन हेतु स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : –

स्क्रूटनी एवं प्रवेश हेतु समय–सारणी :–

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	दिनांक एवं समय
1	स्क्रुटनी एवं प्रवेश की प्रारंभ तिथि **(Physical Mode/Offline Mode)**	**दिनांक 08 जनवरी 2026, समय** Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से
2	स्क्रुटनी की अंतिम तिथि **(Physical Mode/Offline Mode)**	**दिनांक 13 जनवरी 2026, समय** Server Time 16:00 Hrs (04:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस है)
3	आबंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि **(Physical Mode/Offline Mode)**	**दिनांक 13 जनवरी 2026, समय** Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस है)

सभी आवंटित अभ्यर्थी ***छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025*** का अध्ययन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें। आबंटन उपरांत ***नियमानुसार उचित प्रक्रिया के अभाव में अभ्यर्थी अपात्र हो सकते है।***

सभी आवंटित अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि ***छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025 के बिन्दु 2.6 के अनुसार "प्रत्येक चरण में आवंटित अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा करवाना अनिवार्य होगा। संवीक्षा में अपात्र पाये जाने या अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग से स्वतः ही बाहर हो जायेगा।***

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों – *सभी संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के आवंटित अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया आवंटित संस्था में सम्पन्न की जावेगी।*

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्क्रूटनी सेंटर

क्र0	निजी संस्था का नाम	शासकीय संस्था (जहॉ पर स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रकिया किया जाना है)
01	**i) श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर** **ii) रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, रायपुर**	*पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर*
02	**i) श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई**	*चंदुलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग*

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

क्रमशः—2—

नोट :–

1. जिन प्रवेशित अभ्यर्थियों की Seat Retained है, उन्हें इस चरण में पुनः प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।
2. अपग्रेडेशन प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी इस चरण में अपनी पूर्व में प्रवेशित संस्था से **रिलिविंग लेटर (Relieving Letter)** प्राप्त कर, अपने सभी मूल दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क के साथ नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर पुनः स्क्रूटनी एवं प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पूर्व संस्था में प्रवेश के समय उचित प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा चुका है, उन्हें नवीन आवंटित संस्था में पुनः मेडिकल जांच कराना आवश्यक नहीं होगा।
3. द्वितीय चरण एवं आगामी सभी काउंसिलिंग चरणों में सीट आवंटन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा प्रवेश लेकर सीट का त्याग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी।
4. दिनांक 10.01.2026 **(शनिवार)** एवं दिनांक 11.01.2026 **(रविवार)** को बैंक अवकाश को ध्यान में रखते हुए, द्वितीय चरण काउंसिलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे अपने आवंटित महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग तथा अन्य ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अतः सभी संबंधित संस्था आवंटित अभ्यर्थियों को उपरोक्त भुगतान विकल्प अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. आगामी काउंसिलिंग, आबंटन एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाईट ***www.cgdme.in*** एवं ***https:// cgdme.admissions. nic.in/*** का नियमित अवलोकन करें।
6. सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का आवंटन छ0ग0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाता है, **अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।**
7. छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 का अवलोकन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

07/1/26

अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

पृ. क्रमांक/ 33 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2025 रायपुर, दिनांक 07/01/2026

प्रतिलिपि :– अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

07/1/26

अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.